'राष्ट्र–निर्माण में डॉ॰ अम्बेदकर का योगदान विषय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविन्द का सम्बोधन

(दिनांक–14.07.2017, समय–पूर्वाह्न–11:00 बजे, स्थान–मगध विश्वविद्यालय, बोधगया)

इंडियन इकोनॉमिक्स एशोसियेशन की शताब्दी समिति के अध्यक्ष प्रो॰ सुखदेव थोराट जी, संस्था के अध्यक्ष डॉ॰ सी॰ रंगराजन जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ कमर अहसन जी, प्रो॰ तपन कुमार शांडिल्य जी, संस्था के महासचिव डॉ॰ अनिल कुमार ठाकुर जी, सम्मेलन के संयोजक प्रो॰ मोहन प्रसाद श्रीवास्तव जी, सम्मेलन में उपस्थित सभी अर्थशास्त्रीगण, प्राध्यापकगण, अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों!!

इंडियन इकोनॉमिक्स एशोसियेशन के शताब्दी–वर्ष के अवसर पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन ऐतिहासिक एवं पावन दिन है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी एवं भारतीय शासन–व्यवस्था के जनक बाबा साहब डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर जी की जयन्ती का आज पावन दिन है। राष्ट्र–निर्माण में डॉ॰ अम्बेदकर साहब के योगदान पर सार्थक विचार–विमर्श के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन एक प्रशंसनीय निर्णय है।

मित्रों, भारत रत्न डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर की पहचान मुख्य रुप से एक समाज सुधारक, दलितों और अभिवंचितों के हितैषी तथा भारतीय संविधान की रचना में मुख्य भूमिका निभाने वाले विधि विशेषज्ञ तथा राजनीतिज्ञ के रुप में होती है। वस्तुतः वे एक महान अर्थशास्त्री, विचारक तथा समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास, राजनीति, कानून एवं धर्म जैसे गूढ़ विषयों पर बेबाक तरीके से लेखन–कार्य करने वाले विद्वान थे। शताब्दियों से उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित देश के

करोड़ों, अभिवंचितों के लिए डॉ॰ अम्बेदकर ने दो सौ वर्षों से अधिक की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत में विकास का जो मार्ग प्रशस्त कराया, उससे आज का अभिवंचित समाज न केवल बराबरी के आधार पर खुली हवा में सांस ले रहा है, वरन् विकास की नित नई ऊँचाइयों को छू रहा है। डॉ॰ अम्बेदकर को संविधान–सभा और उससे पूर्व वायसराय की काउंसिल में जो ऊँचा स्थान मिला, वह उनकी बहुआयामी बौद्धिक प्रतिभा का परिणाम था। कम ही लोग इस तथ्य से परिचित होंगे कि डॉ॰ अम्बेदकर मूलतः एक अर्थशास्त्री थे। देश एवं विदेश के अर्थशास्त्रियों के इस समागम में डॉ॰ अम्बेदकर के व्यक्तित्त्व और कृतित्त्व पर चर्चा निश्चित ही सराहनीय है।

अपने अध्ययन और प्रारम्भिक लेखन में डॉ॰ अम्बेदकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की तात्कालिक समस्याओं का विश्लेषण किया और बेबाक तरीके से इन समस्याओं–विशेष रुप से निर्धनता, कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी आदि के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उत्तरदायी ठहराया। 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड फिनान्स ऑफ दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी', 'इवोल्यूशन ऑफ प्रोविन्शियल फिनान्स इन ब्रिटिश इण्डिया' तथा 'स्माल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रिमेडीज' शीर्षक लेखों को डॉ॰ अम्बेदकर जैसा कोई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ही लिख सकता था, जिसने अंग्रेजी शासन में भारतीयों की समस्याओं का यथार्थपरक मूल्यांकन तो किया ही, उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। जिस सहकारी संघवाद की चर्चा आज सर्वत्र की जा रही है, उसकी विस्तृत रुपरेखा डॉ॰ अम्बेदकर ने केन्द्र एवं प्रान्तों के बीच करों के बटवारे तथा वित्तीय शक्तियों को प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित किए जाने के रुप में प्रस्तुत की थी। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त निर्धनता, विशेष रुप से बहुआयामी निर्धनता के परिमाण व प्रसार तथा इसके कारणों से परिचित थे। आय एवं धन–सम्पत्ति

का असमान वितरण, दोषपूर्ण भू–धारण प्रणाली, कृषि में आय–सृजन का निम्न स्तर, उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का अभाव, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में श्रमाधिक्य आदि कारण आर्थिक समस्याओं की जड़ में थे।

डॉ॰ अम्बेदकर के सम्पूर्ण वैचारिक दर्शन में सामाजिक न्याय की अवधारणा सर्वत्र परिलक्षित होती है। संविधान सभा को अन्तिम वार संबोधित करते हुए डॉ॰ अम्बेदकर ने कहा था कि–

''सामाजिक धरातल पर भारत में एक ऐसा समाज है, जो श्रेणीगत असमानताओं के सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसमें किसी को ऊँचा उठाया जाता है, तो किसी को नीचे गिराया जाता है। आर्थिक धरातल पर हम एक ऐसे समाज को देखते हैं, जहाँ कुछ के पास अपार सम्पत्ति है, तो अधिसंख्य लोग निर्धनता और विपन्नता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।''

डॉ॰ अम्बेदकर ने देखा और पाया कि भारत में जाति प्रथा ने लोकतंत्र, समता और न्याय के मार्ग में गम्भीर किस्म की बाधाएँ खड़ी की है। डॉ॰ अम्बेडकर ने माना कि जाति–प्रथा संस्थागत असमानता का एक प्रमुख कारकीय तत्व है, जिसमें जहाँ कुछ को जाति के आधार पर श्रेष्ठ तो बाकी को हीन और तुच्छ माना जाता है। डॉ॰ अम्बेदकर के प्रयासों से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता–निवारण को शामिल किए जाने से दलितों को एक सम्मान योग्य मानव–जीवन–यापन का आधार मिल गया। यह सामाजिक समता और न्याय की दिशा में एक सकारात्मक पहल थी। डॉ॰ अम्बेडकर एक सामाजिक क्रान्तिकारी तथा मानवाधिकारों के प्रखर प्रवक्ता थे।

देश एवं विदेशों से जुड़े अर्थशास्त्रियों की इस सभा में मैं डॉ॰ अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर भी संक्षिप्त रुप में अपनी बात रखना चाहूँगा। यह सही है कि अधिकांश मुद्दों पर

उनके आर्थिक विचार स्वतंत्रता से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं से सम्बन्धित हैं, लेकिन उनकी उपादेयता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि आज से दस दशक पूर्व थी।

प्रगतिशील करारोपण के समर्थक डॉ॰ अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तियों की आय एवं सम्पत्ति पर करारोपण उनकी सबल आय के आधार पर न करके, उनकी करदेय क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ जरुरी हो, वहाँ करारोपण में छूटें भी प्रदान की जानी चाहिए। डॉ॰ अम्बेडकर कर–प्रणाली को केवल राजस्व–संग्रहण का एक स्रोत भर नहीं मानते थे, वरन वे इसका प्रयोग आय के वितरण की असमानताओं के निराकरण की दृष्टि से करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने निर्धनों पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाने, नीची आय वालों पर नीची दर से कर लगाने तथा ऊँची आय वालों पर ऊँची दर से कर लगाने का सुझाव दिया था। उनके अनुसार करारोपण की ऐसी कोई भी नीति न्यायोचित नहीं हो सकती, जिससे लोगों के जीवनस्तर में गिरावट आती हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहकारी संघवाद के समर्थक हैं। योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' की स्थापना सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यहाँ यह स्मरणीय है कि भारत में सहकारी संघवाद की जड़ें स्वतंत्रता से पूर्व डॉ॰ अम्बेडकर के विचारों में निहित हैं। प्रान्तों के बढ़ते दायित्वों को पूरा करने के लिए केन्द्र से प्राप्त होने वाले अनुदान को वे समस्या का स्थायी समधान नहीं मानते थे, बल्कि उनकी दृष्टि में राजकोषीय असुन्तलन का यह प्रमुख कारण था। वे राज्यों को और अधिक वित्तीय संसधान हस्तान्तरित करने के पक्षधर थे। संविधान की 'सातवीं अनुसूची' की राज्य सूची में उल्लिखित करारोपण की मदों से इतर

केन्द्रीय करों, विशेष रुप से आय कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों और केन्द्र का सापेक्षिक हिस्सा तय करने के लिए ही वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने में डॉ॰ अम्बेडकर की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। कर–प्रणाली की सहजता तथा उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से आज जिस 'वस्तु एवं सेवा–कर प्रणाली (GST)' की व्यवस्था को हम लागू करने जा रहे हैं, उसकी परिकल्पना में भी डॉ॰ अम्बेदकर के आर्थिक चिन्तन–तत्वों को मूल आधार बनाया गया है।

डॉ॰ अम्बेदकर ने 'ब्रिटीश कालीन भारत में प्रान्तीय वित्त व्यवस्था का विकास तथा साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था के प्रान्तीय विकेन्द्रीकरण' शीर्षक अपनी शोध–पुस्तक में अपने आर्थिक चिन्तन को अत्यन्त विस्तार से प्रस्तुत किया है। डॉ॰ अम्बेदकर मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती थे और उनका मानना था कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े–बड़े उद्योग लगते हैं और नये शहर बसते हैं, जिससे गरीबों का भी भला होता है। बहुत कम लोगों का ही ध्यान इस ओर जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰बी॰आई॰) का गठन भी डॉ॰ अम्बेदकर की ही देन है। 1935 में गठित इस संस्था का आधार बाबा साहेब डॉ॰ अम्बेदकर द्वारा 'हिल्टन यंग कमीशन' के समक्ष प्रस्तुत किये गये विचार ही थे।

डॉ॰ अम्बेदकर की मान्यता थी की भारतीय दर्शन के मौलिक तत्व अत्यन्त उदात्त हैं। सामाजिक विकृतियों, रूढ़ियों, ढ़ोग, पाखंड, कर्मकाण्ड के अतिरेक ने भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को छिपा रखा है। डॉ॰ अम्बेदकर इन्हीं विकृतियों के विरोधी हैं।

डॉ॰ अम्बेदकर भारत में मजदूरों के लिए आठ घंटों का कार्य निर्धारण कर श्रमिकों के लिए प्रकाशपुंज बन गये। ज्ञातव्य है कि 1942 के पूर्व से 12 घंटे का कार्य–निर्धारण हर प्रकार के श्रमिकों के लिए था।

डॉ॰ अम्बेदकर ने उद्योग मंत्री के रूप में दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सूरजकुंड नदी घाटी परियोजना आदि का निर्माण कराया था। डॉ॰ अम्बेदकर की अध्यक्षता में ही 1945 में इसे बहुउद्देशीय उपयोग के लिए महानदी के रूप में नियंत्रित कर संभावित लाभ हेतु निवेश करने का फैसला लिया गया था। डॉ॰ अम्बेदकर ने ही केन्द्रीय तकनीकी विद्युत बोर्ड (सी॰टी॰पी॰बी॰) की स्थापना कराई थी। उनकी ही पहल पर 1944 में 'केन्द्रीय जल–सिचाई और नेवीगेशन आयोग (CWINC)' की स्थापना हुई थी। हमारे घर आज अगर रौशन हैं तथा खेतों में हरियाली है, तो यह डॉ॰ अम्बेदकर की ही सुनियोजित औद्योगिक नीतियों का परिणाम है।

डॉ॰ अम्बेदकर ने महिला सशक्तीकरण हेतु भी ठोस पहल की थी। 1951 में उन्होंने संसद में 'हिन्दू कोड बिल' पेश किया था। डॉ॰ अम्बेदकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तभी आयेगा, जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरूषों के समान अधिकार और हिस्से मिलेंगे। डॉ॰ अम्बेदकर का यह अडिग विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी, जब उन्हें घर–परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। डॉ॰ अम्बेदकर का पूरा विश्वास था कि 'हिन्दू कोड बिल' पास कराकर उन्होंने भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

डॉ॰ अम्बेदकर के विचारों और उनके दर्शन पर जब हम समेकित रूप से चिंतन–मनन करते हैं, तो पाते हैं कि बाबा

साहेब ने राष्ट्र–हित को सदैव सर्वोपरि रखा। स्वतंत्रता–आन्दोलन के दौरान कुछ भारतीय नेता कहा करते थे कि 'पहले हम भारतीय हैं फिर बाद में हिन्दू या मुसलमान'। परन्तु डॉ॰ अम्बेदकर तो कहा करते थे कि 'मैं पहले भी भारतीय था, बाद में भी भारतीय रहा और अंत में भी भारतीय ही रहना चाहूँगा।'' वस्तुतः डॉ॰ अम्बेदकर साहब का सामाजिक और आर्थिक चिन्तन सम्पूर्ण भारतीय समाज और राष्ट्र को समग्रता में देखने वाला चिन्तन है। वे सच्चे अर्थों में मानवतावादी थे। वे महामानव थे। मैं समझता हूँ, डॉ॰ अम्बेदकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों के भारत के नव–निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत–बहुत धन्यवाद!

जय हिन्द !!

***

प्रस्तुति–जन–सम्पर्क शाखा, राजभवन, पटना।